

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 3390/2013

डॉ. हरिसिंह कांठलिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

23.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री सुधीर जैन, अधिवक्ता- याची की ओर से।

श्री श्रीचन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

अधिवक्ता याची ने निवेदन किया है कि उन्हें सी.बी.आई. के रिटेनर अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार शर्मा ने सूचित किया है कि उनके पास पत्रावली नहीं पहुंची है। अतः अवसर दिया जावे।

प्रार्थनानुसार अवसर दिया जाता है। प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

